

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(१५) राज / वाद / ०८, पार्ट

जयपुर दिनांक २५.०३.२०२१

:: आदेश ::

श्री अरुण कुमार, (पंजीयन क्रमांक आर/1671/2008) एडिशनल गवर्नर्मेंट कॉसिल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

—८०—
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/विशेषाधिकारी (जी.एस.वाई), मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० विधि मंत्री/मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति० महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
11. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
14. कोषाधिकारी, जोधपुर।
15. लेखा शाखा, विधि विभाग।
16. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि